ई–मेल

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ.3(3)(1)रोल / निर्वा / 2018 / 2nd SSR 2018/ ८१।८ दिनांक :31 अगस्त, 2018

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :– समस्त सम्भागीय आयुक्त, (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान
समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

विषयः–अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2018 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय संक्षिप्त विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करनें की अवधि बढ़ानें बाबत।
प्रसंगः– भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 23 / राज. / 2018 / उ.अनु.–1दिनांक 31.08.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग नें अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2018 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय संक्षिप्त विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि की दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करनें की समयावधि 31 अगस्त, 2018 (शुक्रवार) तक विस्तारित / बढ़ाई गयी थी।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 31.08.2018 द्वारा दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करनें की समयावधि के लिए अन्तिम तारीख को 07 सितम्बर, 2018 (शुक्रवार) तक विस्तारित / बढ़ा दी गयी है **(प्रति संलग्न है)** कृपया समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को तदानुसार दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करनें की व्यवस्था सुनिश्चित करनें हेतु दिशा–निर्देश जारी करते हुए सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

www.rajteachers.com

(विनोद कुमार पारीक)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांक एफ.3(3)(1)रोल / निर्वा / 2018 / 2nd SSR 2018/ जयपुर, दिनांक :–31 अगस्त, 2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,जयपुर।

TO BE REPUBLISHED IN AN EXTRAORDINARY ISSUE OF RAJASTHAN STATE GOVERNMENT GAZETTE IMMEDIATELY.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 31st August, 2018
9 Bhadrapada, 1940 (Saka)

NOTIFICATION

No. 23/RJ/2018 (Special)- Whereas, the Commission had announced the schedule of the Second Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 01.01.2018 as the qualifying date, of Rajasthan State, vide its letter no. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018, dated 07.05.2018; and

Whereas, the period for filling claims & objections in Rajasthan State was from 31st July, 2018 (Tuesday) to 31st August, 2018 (Friday); and

Whereas, the draft rolls were published on 31st July, 2018 in the State; and

Whereas, the Election Commission, has reviewed the progress of revision process in the State, and has decided that the period for filling claims & objections should be further extended up to 7th September, 2018;

Now, therefore, the Election Commission in exercise of the power conferred by the proviso to Rule 12 of the Registration of Electoral Rules, 1960, extends, for all Assembly Constituencies in the State of Rajasthan, the period of filing claims & objections up to 7th September, 2018 (Friday) for the ongoing Second Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 01.01.2018 as the qualifying date.

By Order,

www.rajteachers.com

(PRAMOD KUMAR SHARMA)
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग

www.rajteachers.com

ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

23/राज./2018/उ.अनु.1 दिनांक- 31 अगस्त, 2018

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,
जयपुर.

विषयः - राजस्थान राज्य में फोटो निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2018 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय आयोग के दिनांक 07.05.2018 के पत्र संख्या 23/पत्र/प्रकार्या./ई आर डी-ई आर/2018 को संदर्भित करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि आयोग द्वारा राजस्थान राज्य में फोटो निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2018 कार्यक्रम में इंगित, दावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की तिथि, जोकि दिनांक 31.07.2018 (मंगलवार) से दिनांक 31.08.2018 (शुक्रवार) तक है, को पुनः संशोधित करते हुए इसे दिनांक 31.08.2018 (शुक्रवार) से दिनांक 07.09.2018 (शुक्रवार) तक कर दिया गया है ।

2. राज्य में चल रहे निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2018 संबंधित अंतिम प्रकाशन की तिथि सहित अन्य कार्यक्रम यथावत रहेंगें ।

3. इस संबंध में आयोग की दिनांक 31 अगस्त, 2018 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या 23/राज./2018 (विशेष) की प्रति, इसके हिन्दी अनुवाद सहित, आपको भेजी जा रही है । आपसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशन की व्यवस्था करा दी जाए। साथ ही उस राजपत्र, जिसमें इस अधिसूचना का प्रकाशन किया गया हो, की तीन प्रतियां रिकार्ड हेतु आयोग को भी भेज दी जाए ।

4. आपसे यह भी अनुरोध है कि सभी राजनीतिक दलों को इस परिवर्तन की लिखित सूचना दे दी जाए और राज्य के सभी क्षेत्रों में इसका समुचित प्रचार किया जाए ।

www.rajteachers.com

भवदीय,

(कुमार संजीव)
अवर सचिव